RNI No. MAHBIL /2009/31746

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ५, अंक ७] गुरुवार ते बुधवार, मे ३०-जून ५, २०१९/ज्येष्ठ ९-१५, शके १९४१ [पृष्ठे १६

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

पृष्ठे

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५, सन २०१७.— महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपी अधिनियम, २०१५ . . २

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2017.

THE MAHARASHTRA ACUPUNCTURE SYSTEM OF THERAPY ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक १५ मार्च, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव, (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2017.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE DEVELOPMENT OF THE ACUPUNCTURE SYSTEM OF THERAPY, BY REGULATING THE TEACHING AND PRACTICE THEREOF AND TO DEAL WITH CERTAIN OTHER MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५, सन् २०१७।

(जो कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ३ अप्रैल, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अध्यापन और उसकी पद्धति के विनियमन द्वारा और तत्संबंधी और उसके आनुषंगिक कतिपय अन्य मामलों का निपटान करने के लिये ॲक्यूपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपि का विकास करने के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि अध्यापन और उसकी पद्धति के विनियमन द्वारा और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक मामलों का निपटान करने के लिये ॲक्यूपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपि का विकास करना इष्टकर समझा है ; अत: भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपि अधिनियम, २०१५ कहलाये।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) ''ॲक्यूपंक्चर'' का तात्पर्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सिफारिश की गई ॲक्यूपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपि, से है और इसमें चषकाकार (बाँस या काँच या प्लास्टिक या रब्बर से बने एक चषक जैसी वस्तु से कुछ विशिष्ट ॲक्यू प्वाईंट या भाग पर निर्वात उत्पन्न करने की पूरक पद्धति), दाब (ॲक्यू प्वाईंट पर, जहाँ सूई दाब संभव नहीं है वहाँ किसी उँगली या भोथर गोलाकार वस्तु द्वारा दाब लगाना), सप्ततारांकित सूई

(ॲक्यू प्वाईंट या विशिष्ट भाग या रेखा पर थपकी लगाने के लिये एक लकडी के अन्त पर गाडी हुई सात या पाँच क्रमांक की ॲक्यू सुईयाँ), ॲक्यूपंक्चर विद्युतीय उद्दीपन (ॲक्यू प्वाईंट पर कम तीव्रता का विद्युत उद्दीपन का प्रयोग करना) ॲक्यू लेसर (ॲक्यू प्वाईंट पर कम तीव्रता लेसर का प्रयोग करना), कैटगॅट अंतस्थापित करना (ॲक्यू प्वाईंट पर सर्जिकल कैटगॅट रोपना) और राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्चर परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए ऐसी अन्य पद्धतीयाँ सम्मिलित हैं ;

(ख) ''ॲक्यूपंक्चर संस्था'' का तात्पर्य, कोई संस्था, जो ॲक्यूपंक्चर में अध्ययन पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण का संचालन करती हो या प्रस्ताव रखती हो, से है ;

(ग) ''सम्बद्ध ॲक्यूपंक्चर संस्था'' का तात्पर्य, परिषद से सम्बद्ध ॲक्यूपंक्चर संस्था, से हैं ;

(घ) ''ॲक्यूपंक्चर व्यवसायी'' का तात्पर्य, कोई व्यक्ति, जो ॲक्यूपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपि के व्यवसाय में जुड़ा हो, से है ;

(ङ) ''ॲक्यूपंक्चर कार्मिक'' का तात्पर्य, ॲक्यूपंक्चर के व्यवसाय में किसी रजिस्ट्रीकृत ॲक्यूपंक्चर व्यवसायी को सहायता करनेवाले व्यक्तियों से हैं ;

(च) ''प्रवेश क्षमता'' का तात्पर्य, किसी ॲक्यूपंक्चर संस्था द्वारा संचालित ॲक्यूपंक्चर में अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को प्रवेश लेने के लिये, परिषद द्वारा, समय-समय से, नियत की गई छात्रों की अधिकतम संख्या से हैं ;

(छ) ''प्रमाणपत्र'' का तात्पर्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में, परिषद द्वारा विहित किया जाये ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण और ऐसी कालावधि में पूर्ण करने पर परिषद द्वारा प्रदान किये गये प्रमाणपत्र, से है ;

(ज) ''परिषद'' का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन गठित महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्चर परिषद, से हैं ;

(झ) ''डिप्लोमा'' का तात्पर्य, ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में, परिषद द्वारा विहित की जा सके ऐसी कालावधि को पूर्ण करने पर परिषद द्वारा प्रदान किये गये, डिप्लोमा से हैं ;

सन् १९९९ का महा. १०।

(ञ) ''उपाधि'' का तात्पर्य, ॲक्यूपंक्चर में ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण और उस निमित्त जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शक सिद्धांतों से असंगत न हो, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान अधिनियम, १९९८ के उपबंधों के अनुसार विहित की जा सके, ऐसी कालावधि पूर्ण करने पर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई उपाधि से हैं ;

(ट) ''अर्हता परीक्षा'' का तात्पर्य, परिषद जैसा कि निर्धारित करें, ऐसे दिनांक पर, इस अधिनियम के प्रारम्भण के ठीक पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिये, परिषद द्वारा केवल एक बार ली गई या लिये जाने के कारण हो, डिप्लोमा प्रदान करने के लिये परिषद द्वारा ली गई परीक्षा के ऐसे स्वरूप और स्तरमान की ॲक्यूपंक्चर की परीक्षाओं से हैं ;

(ठ) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार, से हैं ;

(ड) ''सदस्य'' का तात्पर्य, परिषद के सदस्य, से हैं ;

(ढ) ''विहित'' का तात्पर्य, नियमों द्वारा विहित, से हैं ;

(ण) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य, परिषद के अध्यक्ष, से हैं ;

(त) ''मान्यताप्राप्त ॲक्यूपंक्चर अर्हता'' का तात्पर्य, परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त ॲक्यूपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपि की अर्हता, से हैं ;

(थ) ''मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था'' का तात्पर्य, संस्था जो ॲक्यूपंक्चर में या संबंधित अनुसंधान का संचालन करती है और परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त होने से हैं ;

(द) ''रजिस्टर'' का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये रखे गये ॲक्यूपंक्चर व्यवसायीयों और ॲक्यूपंक्चर कार्मिकों के रजिस्टर, से हैं ;

(ध) ''रजिस्ट्रीकृत ॲक्यूपंक्चर व्यवसायी'' का तात्पर्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत ॲक्यूपंक्चर व्यवसायी, से हैं ;

(न) ''रजिस्ट्रीकृत ॲक्यूपंक्चर कार्मिक'' का तात्पर्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत ॲक्यूपंक्चर कार्मिक, से हैं ;

(प) ''रजिस्ट्रार'' का तात्पर्य, धारा १३ के अधीन नियुक्त किये गये परिषद के रजिस्ट्रार, से हैं ;

(फ) ''विनियमों'' का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनाये गये विनियमनों, से हैं ;

(ब) ''नियमों'' का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों, से हैं ;

(भ) ''धारा'' का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा, से हैं ;

(म) ''अध्यापक'' का तात्पर्य, अध्यापन में पद धारण करने के लिये, परिषद से सम्बद्ध या द्वारा मान्यताप्राप्त किसी ॲक्यूपंक्चर संस्था द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति, से हैं ;

(य) ''उपाध्यक्ष'' का तात्पर्य, परिषद के उपाध्यक्ष, से हैं।

अध्याय दो

परिषद का गठन और उसका समामेलन

परिषद का गठन और उसका समामेलन।

३. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभण के पश्चात शीघ्र, महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्चर परिषद नामक एक परिषद गठित कर सकेगी।

(२) परिषद, एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और जंगम तथा स्थावर संपत्ति को अर्जित, धारित, अंतरित करने और उसका निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उपर्युक्त नाम से वाद चला सकेगी तथा उस पर वाद चलाया जायेगा ।

(३) परिषद, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) पाँच सदस्य, जो भारत के नागरिको से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से और उनमें से रजिस्ट्रीकृत ॲक्यूपंक्चर व्यवसायियों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रित्या में निर्वाचित हुये हैं;

(ख) रजिस्ट्रीकृत ॲक्यूपंक्चर व्यवसायियों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो सदस्य, दोनों भारत के नागरिक हो ;

(ग) महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य ;

(घ) सम्बद्ध ॲक्यूपंक्चर संस्थाओं के प्रमुखों में से, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाये, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य ;

(ड़.) मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के प्रमुखों में से, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाये, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य ।

(४) उप-धारा (३) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सदस्यों के निर्वाचन, विहित की जा सके ऐसे समय और ऐसे स्थान पर और ऐसी रित्या में होंगे ।

(५) यदि, उप-धारा (३) के खण्ड (ग) के अनुसार सदस्य का नामनिर्देशन विहित दिनांक तक नहीं होता है तो, राज्य सरकार के लिये रिक्ति भरने के लिये एक रजिस्ट्रीकृत ॲक्यूपंक्चर व्यवसायी को नामनिर्देशित करना विधिसंगत होगा ।

(६) यदी उप-धारा (३) के खण्ड (क) के अधीन किसी निर्वाचन में मतदाता आवश्यक संख्या में सदस्यों को चूनने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार के लिये रिक्ति या रिक्तीयाँ भरने के लिये, उसे उचित जान पडे ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी या व्यवसायियों को नामनिर्देशित करना विधिसंगत होगा ; और इस प्रकार नामित व्यवसायी, इस धारा के अधीन सम्यक्तया निर्वाचित हुये समझे जायेंगे ।

(७) इस अधिनियम में पूर्ववर्ती उप-धाराओं में या अन्यत्र अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, परिषद के प्रथम गठन पर, उप-धारा (३) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे।

(८) परिषद के पुनर्गठन के पश्चात्, की उसकी प्रथम बैठक में गणपूर्ति हो तो उसमें से परिषद के सदस्यों द्वारा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, निर्वाचित किये जायेगा ;

परंतु, प्रथम परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे :

परंतु आगे यह कि, एक व्यक्ति जिसने अध्यक्ष या, यथास्थिति, उपाध्यक्ष का पद धारण करता है या किया हो तो इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, उस पद के लिये, पुनः निर्वाचित होने के लिये पात्र होगा।

(९) जहां, सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के किसी निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद प्रोदभूत होता है तो, राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और राज्य सरकार का निर्णय, अंतिम होगा।

पदावधि।

४. (१) सरकार, निर्वाचित और नामित दोनों सदस्यों के नाम, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करेगा।

(२) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सदस्य, चाहे निर्वाचित या नामित हो, उप-धारा (१) के अधीन, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(३) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनके निर्वाचन के दिनांक से जिस पर उनकी सदस्य के रूप में पदावधि अवसित होने के दिन तक पद धारण करेंगे।

(४) पदावरोही सदस्य की पदावधि, उप-धारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उप-धारा (१) के अधीन उत्तरवर्ती सदस्य के नाम जिस दिन प्रकाशित होते है, उससे सद्यः पूर्ववर्ती दिनांक तक विस्तारित और को अवसित हुई समझी जायेगी।

(५) पदावरोही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि, उप-धारा (३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उत्तरवर्ती अध्यक्ष या, यथास्थिति, उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के दिन के सद्यः पूर्ववर्ती दिन तक विस्तारित और को अवसित हुई समझी जायेगी।

(६) पदावरोही सदस्य, पुनःनिर्वाचित या पुनः नामित होने के लिये पात्र होंगे।

(७) परिषद, छह माह से अनाधिक अवधि के लिये, किसी सदस्य को, अनुपस्थित रहने की अनुमति दे सकेगी।

आकस्मिक रिक्तियाँ।

५. (१) धारा ३ की उप-धारा (३) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि अवसित होने से पूर्व, मृत्यू, इस्तिफा, निरर्हता या निर्योग्यता या किसी अन्य कारणवश होनेवाली कोई आकस्मिक रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जायेगी :

परंतु, सभी सदस्यों की पदावधि जिस दिनांक को अवसित होती है, उससे पूर्व छह माह के भीतर होनेवाली निर्वाचित सदस्य के पद की ऐसी कोई रिक्ति भरी नहीं जायेगी।

(२) धारा ३ की उप-धारा (३) के खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन नामित सदस्यों की पदावधि अवसित होने से पूर्व, होनेवाली किसी आकस्मिक रिक्ति की रिपोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा तत्काल राज्य सरकार या, यथास्थिति, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को की जायेगी और तदुपरांत, यथा संभव शीघ्र वह राज्य सरकार या, यथास्थिति, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा नामनिर्देशन से भरी जायेगी।

(३) आकस्मिक रिक्ति भरने के लिये उप-धारा (१) के अधीन निर्वाचित और उप-धारा (२) के अधीन नामित कोई भी व्यक्ति, धारा ४ में अतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि रिक्ति नहीं हुई होती तो, जिस व्यक्ति के स्थान पर वह निर्वाचित या नामित हुआ है, उस व्यक्तिने जितनी अवधि के लिये पद धारण किया होता केवल उतनी ही अवधि के लिये वह पद धारण करेगा।

अध्यक्ष की आकस्मिक रिक्ति।

६. (१) यदि, अध्यक्ष की मृत्यू हुई हो या उसने पद का इस्तिफा दिया हो या पद धारण समाप्त करने से परिविरत हुआ हो तो, परिषद अध्यक्ष के रूप में अपने में से अन्य व्यक्ति को निर्वाचित करेगी और ऐसा अध्यक्ष भूतपूर्व अध्यक्ष की पदावधि के अनवसित कालावधि के लिये पद धारण करेगा।

(२) उप-धारा (१) के उपबंधों के अध्यधीन उप-धारा (१) के अधीन अध्यक्ष के पद पर कोई रिक्ति पायी जाने की दशा में, उपाध्यक्ष, नये अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक, अध्यक्ष के कार्यों का निर्वाहन करेगा।

(३) जब अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण हेतु अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल होता है तब, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के उनके कर्तव्य पुनःग्रहण करने के दिनांक तक अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा।

इस्तीफा। **७.** (१) अध्यक्ष या कोई उपाध्यक्ष, परिषद को संबोधित करते हुए लिखित में रजिस्ट्रार को नोटीस भेजकर अपने पदसे किसी भी समय इस्तीफा दे सकेगा । इस्तीफा, परिषद द्वारा उसे स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।

(२) निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए, लिखित में नोटीस देकर अपने पद से किसी भी समय इस्तीफा दे सकेगा। नामित सदस्य, सरकार या, यथास्थिति, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को संबोधित करते हुए, लिखित में नोटीस देकर अपने पद से किसी भी समय इस्तिफा दे सकेगा। ऐसा प्रत्येक इस्तिफा, सरकार या, यथास्थिति, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा उसे स्वीकृत किये जाने की दिनांक से प्रभावी होगा।

निरर्हता। **८.** (१) कोई व्यक्ति, सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामित होने से या के रूप में बने रहने से निरर्ह होगा, यदि,—

(क) वह विकृत चित्त का है या होता है और उसे सक्षम न्यायालय ने इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(ख) वह नैतिक अधमतासे अन्तर्ग्रस्त है, ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जो सरकार की राय में, उस परिषद का सदस्य होने के लिए उसे अनुपयुक्त ठहराती है ; या

(ग) वह अनुन्मोचित दिवालिया है या किसी समय उसे इस प्रकार न्याय निर्णित किया जाता है ; या

(घ) उसका नाम रजिस्टर से हटाया गया है और उसमें पुन:प्रविष्ट किया गया है ; या

(ड) वह परिषद का या कर्मचारी है, या

(च) यदि, वह परिषद के साथ, के द्वारा या की और से किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई शेयर या हित रखता है ।

(छ) उसे घोर कदाचार या नैतिम अधमता से ग्रस्त अपराध के दोषरोपण पर संघ सरकार या राज्य सरकार या **पंचायत** या नगरपालिका की सेवा से बरखास्त किया गया है ; या

(ज) २१ वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति है।

स्पष्टीकरण.—खण्ड (छ) के प्रयोजन के लिये, **" पंचायत "** और **" नगरपालिका "** शब्दों का अर्थ भारत के संविधान के क्रमश: अनुच्छेद २४३ के खण्ड (ध) और अनुच्छेद २४३-त के खण्ड (ड.) में समनुदेशित अर्थ के समान होगा ।

(२) यदि कोई सदस्य, परिषद की अनुमति के बगैर या ऐसे कारण के बगैर जो, परिषद की राय में पर्याप्त है, परिषद की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो, उनका पद रिक्त घोषित कर सकेगी और रिक्ति भरने के लिए कदम उठा सकेगी ।

(३) यदि कोई सदस्य, उप-धारा (१) में उल्लिखित किन्ही निरर्हता के अध्यधीन निरर्ह होता है या पाया जाता है तो परिषद, सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और सरकार, यदि निरर्हता के बारे में संतुष्ट होती है तो, उसका पद रिक्त घोषित करेगी ।

परिषद की बैठकें। **९.** (१) परिषद की बैठकें, ऐसी रीत्या बुलाई जायेगी, होंगी और आयोजित की जाएगी, जिन्हे कि विहित किया जाए ।

(२) जब तक पाँच सदस्यों की गणपूर्ति नहीं होती तब तक, परिषद की किसी बैठक में कोई कारोबार का संव्यवहार नहीं किया जायेगा ।

(३) अध्यक्ष, जब भी उपस्थित हो, परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि किसी बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई अन्य सदस्य, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(४) परिषद की बैठक में उपस्थित सभी प्रश्नों पर, बहुमत से निर्णय लिया जाएगा ।

(५) परिषद की बैठक में मत बराबर होने पर, पीठासीन प्राधिकारी को, दूसरा या निर्णयक मत देने का अधिकार होगा ।

बैठकों की कार्यवाहियाँ और कृत्यों की वैधता।

१०. (१) परिषद की प्रत्येक बैठक में किया गया विचार-विमर्श, गोपनीय समझा जाएगा ; और कोई भी व्यक्ति, परिषद के पूर्व संकल्प के बगैर, उसकी किसी कार्यवाही, को प्रकट नहीं करेगा :

परंतु, इस धारा की कोई बात, परिषद द्वारा अपनाये गये किसी संकल्प का उद्धरण प्रकट करने से या प्रकाशित करने से किसी व्यक्ति को तब तक प्रतिषिद्ध करती हुई नहीं समझी जायेगी जब तक परिषद ऐसे प्रस्ताव को गोपनीय माने जाने के बारे में, निर्देश न दें।

(२) परिषद का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल,–

(क) परिषद में कोई रिक्ति या के गठन में कोई त्रुटि होने के कारण ; या

(ख) परिषद के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नामांकन में कोई त्रुटि होने का कारण ; या

(ग) परिषद की प्रक्रिया में ऐसी किसी अनियमितता के कारण द्वारा जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो, अविधिमान्य नहीं होंगी :

परन्तु, परिषद की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता जो मामले के-गुणागुण को प्रभावित नहीं करती हो या नहीं का प्रश्न अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा, जिसपर उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

कार्यकारी समिति और अन्य समितियाँ।

११. (१) परिषद, यथाशीघ्र, ऐसे कार्यों को पूरा करने, ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन और ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिये जिसे परिषद द्वारा प्रत्यायोजित किया जाये, उसके सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति और अन्य समितियाँ गठित करेगी।

(२) कार्यकारिणी समिति, उनमें से विनिर्दिष्ट रित्या में परिषद द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष और पदेन सदस्य के रूप में उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य, से मिलकर बनेगी।

(३) परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे।

(४) रजिस्ट्रार, कार्यकारिणी समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(५) बिना कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक में जब तक तीन सदस्यों की गणपूर्ति नहीं होती है तब तक कोई भी कारोबार का संव्यवहार, नहीं किया जायेगा।

(६) कार्यकारिणी समिति का सदस्य, परिषद के सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के अवसान तक पद धारण करेगा और वह पुनःनिर्वाचन के लिये पात्र होगा।

(७) सदस्य, समिति के अध्यक्ष को सम्बोधित करके, स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा समिति की अपनी सदस्यता का इस्तीफा दे सकेगा और अनुवर्ती रिक्ति उनमें से अन्य सदस्य, जो समिति का पहले से ही सदस्य न हो, के निर्वाचन द्वारा परिषद द्वारा भरी जायेगी।

(८) कार्यकारिणी समिति विनिर्दिष्ट किये जा सके ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को पूरा करेगी और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।

परिषद की आय और व्यय।

१२. (१) परिषद की आय –

(क) व्यवसायियों से प्राप्त फीस ;

(ख) परिषद द्वारा प्राप्त दान समेत, अन्य कोई रकम के रूप में होगी :

परंतु, कोई दान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना, किसी विदेशी राष्ट्रीय, निकाय, अभिकरण, संस्था या सरकार से परिषद द्वारा प्राप्त नहीं किया जायेगा ।

(२) परिषद, निम्न प्रयोजनों के लिये व्यय उपगत करने के लिये सक्षम होगी, अर्थात् :—

(क) रजिस्ट्रार और परिषद द्वारा बनाए रखे गये कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते ;

(ख) परिषद और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अदा की जानेवाली फीस और भत्ते ;

(ग) कर-निर्धारकों को अदा किया जानेवाला पारिश्रमिक ; और

(घ) ऐसे अन्य व्यय, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के निष्पादन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो ।

रजिस्ट्रार।

१३. (१) परिषद, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी, जो ऐसी अर्हता धारण करेगा जिसे कि विहित किया जाए ।

(२) कार्यकारिणी समिति, समय-समय पर रजिस्ट्रार को छुट्टी अनुदत्त कर सकेगी :

परन्तु, यदि छुट्टी की अवधि तीस दिनों से अनधिक है तो, छुट्टी अध्यक्ष द्वारा अनुदत्त को जा सकेगी ।

(३) छुट्टी या किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रार के पद में हुई किसी अस्थायी रिक्ति के दौरान, उप-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के रूप मे कार्य करेगा, यदि, रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार दोनों की अनुपलब्धता हों तो कार्यकारी समिति, सरकार की पूर्व मंजूरी से, उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी, और इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार समझा जायेगा :

परन्तु, जब ऐसी रिक्ति की अवधि एक महीने से अधिक नहीं होती है तो, नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी, जो ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट तत्काल कार्यकारी समिति और सरकार को देगा ।

(४) परिषद, सरकार की पूर्व मंजूरी से, रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति किसी व्यक्ति की, निलम्बित, पदच्युत कर सकेगी या हटा सकेगी या उस पर कोई अन्य शास्ति अधिरोपित कर सकेगी :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व रजिस्ट्रार को, सुनवायी के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।

(५) इस अधिनियम द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, रजिस्ट्रार के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाये ।

(६) रजिस्ट्रार, परिषद का **पदेन सचिव** और कार्यपालक अधिकारी होगा, वह परिषद द्वारा गठित कार्यकारी समिति और अन्य समितियाँ, यदि कोई हो, के पदेन-सचिव के रूप में कृत्य करेगा।

(७) वह परिषद और उसकी कार्यकारी समिति तथा अन्य समिति की सभी बैठक में भाग लेगा और बैठक का कार्यवृत्त और ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम और कार्यवाहियों को बनाये रखेगा ।

(८) परिषद के लेखे, रजिस्ट्रार द्वारा विहित रीत्या रखे जायेंगे ।

(९) रजिस्ट्रार को, कर्मचारियों पर ऐसी पर्यवेक्षी शक्तियाँ प्राप्त होगी जैसा कि विहित किया जाये, और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा जैसा कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया जाये या जैसा कि विहित किया जाये।

(१०) रजिस्ट्रार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझा जायेगा। सन् १८६० का ४५।

परिषद के अन्य कर्मचारी।

१४. (१) परिषद, रजिस्ट्रार से अन्य एक या अधिक उप-रजिस्ट्रार और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जैसा इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निष्पादन और अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए वह आवश्यक और इष्टकर समझे :

परन्तु, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और पदनाम, और उनके वेतन तथा भत्ते परिषद द्वारा सरकार की पूर्व मंजूरी से अवधारित किये जायेंगे।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु परिषद द्वारा इस निमित्त अधिकथित की जाए ऐसी वित्तीय सीमा के अध्यधीन, कार्य में हुई किसी अस्थाई वृद्धि को पूरा करने के लिए या समय-विशेष के किसी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए विहित की जाए ऐसी अवधि के लिए लिपिकों या कर्मचारियों के अस्थायी पद सृजित करने और उस पर नियुक्त करने के लिए कार्यकारी समिति सक्षम होगी।

(३) परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए ।

(४) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त परिषद के अधिकारी और कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझे जायेंगे। सन् १८६० का ४५।

अध्याय तीन

परिषद की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य।

परिषद की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य।

१५. (१) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधो के द्वारा या के अधीन विहित किया जाए, परिषद की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य निम्न होंगे,–

(क) इस अधिनियम के अधीन ॲक्यूपंक्चर व्यवसायियों और ॲक्यूपंक्चर कार्मिकों का रजिस्टर बनाए रखना ;

(ख) रजिस्ट्रार के किसी निर्णय से अपील की सुनवाई तथा विनिश्चय करना ;

(ग) ॲक्यूपंक्चर व्यवसायियों और ॲक्यूपंक्चर कार्मिकों के व्यवसायिक संचालन का विनियमन करने के लिए नीति संहिता विहित करना ;

(घ) किसी ॲक्यूपंक्चर संस्था की स्थापना करने के लिए अनुमति अनुदत्त करने के लिए और अध्ययन के नए पाठ्यक्रम की शुरूवात करने या परिषद द्वारा किसी मान्यता प्राप्त अर्हता का प्रशिक्षण, मार्गदर्शन प्रदान करने या ऐसे पाठ्यक्रम की ग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए शर्तों को विनियमित करना ;

(ङ) कोई ॲक्युपंक्चर संस्था स्थापित करने, अध्ययन के नए पाठ्यक्रम की शुरूवात करने और परिषद द्वारा किसी मान्यता प्राप्त अर्हता का प्रशिक्षण, मार्गदर्शन करने, या ऐसे पाठ्यक्रम की ग्रहण क्षमता बढाने की मंजूरी देना या अस्वीकृत करना ;

(च) ॲक्युपंक्चर संस्थाओं के संबध्दता की मंजूरी के लिए शर्तो को विनियमित करना ;

(छ) संस्था के प्राधिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ॲक्यूपंक्चर संस्था को सहबद्धता देना या ऐसी मान्यता वापस लेने की मंजूरी देना या अस्वीकृत करना ;

(ज) ॲक्यूपंक्चर और उसकी अनुसंधान संस्थाओं में अर्हताओं की मान्यता देने के लिए शर्तों को विनियमित करना ;

(झ) संस्था के प्राधिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ॲक्यूपंक्चर में अनुसंधान संस्थाओं और अर्हताओं को मान्यता देने या ऐसी मान्यता वापस लेने की मंजूरी देना या अस्वीकृत करना ;

(ञ) संबद्ध और मान्यताप्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए उपबंध करना ;

(ट) ॲक्यूपंक्चर व्यवसायी या ॲक्यूपंक्चर कार्मिक को रजिस्ट्रीकृत करने से फटकारना या निलंबित करना या रजिस्टर से निकाल देना या उसके विरुद्ध ऐसी अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, जो कि परिषद की राय में आवश्यक या इष्टकर हो ;

(ठ) परिषद को किसी संबद्ध संस्था के प्राधिकरण पर या संस्था को संबद्धता लागू करके देने के लिए परिषद जैसा की विनिर्दिष्ट करे ऐसी अवधि के भीतर संस्था की कार्यक्षमता आँकने के लिए आवश्यक समझे ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ या अन्य जानकारी की माँग करना ;

(ड) परिषद द्वारा डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये अध्ययन के पाठ्यक्रमों और ॲक्यूपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपि में अध्ययन और प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम इस निमित्त जारी किए गए विश्व स्वास्थ्य संघटन की सिफारिशों से अनसंगत न हो ऐसे विनियमों द्वारा विहित करना ;

(ढ) ॲक्युपंक्चर व्यवसायी और ॲक्यूपंक्चर कार्मिकों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन हेतु, परिषद द्वारा पात्रता परीक्षा का आयोजन करने या आयोजित किये जानेवाले कारण इस निमित्त जारी किए गये विश्व स्वास्थ्य संघटन की सिफारिशों से असंगत न हो, योजना और अभ्यासक्रम विनियमों द्वारा विहित करना ;

(ण) संबद्धा संस्थाओं के छात्रों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी परीक्षाओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करना ;

(त) परिषद की ओर से संबद्ध संस्था के उपर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करना और ऐसी संस्था को परिषद की राय में जैसा कि आवश्यक और इष्टकर हो ऐसे निदेश देना ;

(थ) जैसा कि परिषद निर्धारित करे ऐसी शर्तों पर ॲक्युपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपि अध्यापन संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए परिषद जो ठिक समझे ऐसी संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति करना।

(द) ॲक्युपंक्चर में अनुसंधान के मामलें में राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ध) ऐसी अन्य शक्तियोंका प्रयोग, ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिसे इस अधिनियम में अधिकथित किया गया है, या जैसा कि विहित किया जाए या जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए निदेश दे सकेगी ;

(न) ऐसे व्यक्तियों को जो परिषद की राय में ॲक्युपंक्चर व्यवसायियों के रूप में प्रतिष्ठित है, मानद डिप्लोमा प्रदान करना ;

(प) दान प्राप्त करना और दान है प्राप्त करने की शर्तों का निर्धारण करना।

(२) परिषद, अक्यूपंक्चर में अध्यपन और प्रशिक्षण के प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करेगी।

नवीन संस्थाएँ, अध्ययन के नवीन पाठ्यक्रम आदि की स्थापना के लिए अनुज्ञा।

१६. (१) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे दिनांक से जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा—

(क) कोई व्यक्ति, कोई ॲक्यूपंक्चर संस्था स्थापित नहीं करेगा ; या

(ख) कोई ॲक्यूपंक्चर संस्था इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में परिषद की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना,–

(एक) परिषद द्वारा किसी मान्यता प्राप्त अर्हता को प्रदान करने अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरु नहीं करेगी ; या

(दो) अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में उसके प्रवेश में वृद्धि नहीं करेगी।

(२) परिषद, इस अधिनयिम के प्रारंम्भण के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, परिषद को अनुमति संबद्धता और मान्यता की प्राप्ति के लिए आवेदन करने के लिए विनियमों द्वारा प्रक्रिया विहित करेगी और उसमें ऐसी अनुमति संबध्दता और मान्यता की मंजूरी या अस्वीकृति भी होगी।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजन हेतु ''व्यक्ति'' में, कोई विश्वविद्यालय, या न्यास या समाज या कोई संस्था शामिल होगी, परन्तु राज्य सरकार या केंद्र सरकार या परिषद शामिल नहीं होगी।

कतिपय मामलों में अर्हता को अमान्यता।

१७. (१) जहाँ इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, विहित रित्या परिषद की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना, कोई ॲक्युपंक्चर संस्था स्थापित की जाती है, वहाँ ऐसी संस्था के किसी छात्र को अनुदत्त ॲक्युपंक्चर की अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त ॲक्युपंक्चर अर्हता नहीं होगी।

(२) जहाँ विहित रित्या परिषद की पुर्वानुमति के बिना, कोई ॲक्युपंक्चर संस्था अध्ययन या प्रशिक्षण के नविन पाठ्यक्रम शुरु करती है तब ऐसे अध्यपन या प्रशिक्षण के आधार पर ऐसी संस्था के किसी छात्र को अनुदत्त कोई भी अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ॲक्युपंक्चर में मान्यताप्राप्त नहीं होगी।

(३) जहाँ कोई ॲक्युपंक्चर संस्था विहित रित्या परिषद की पुर्वानुमति के बिना, अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में उसकी प्रवेश क्षमता बढाती है, तब उसकी प्रवेश क्षमता में वृद्धी के आधार पर ऐसी संस्था के किसी छात्र को अनुदत्त ॲक्युपंक्चर अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ॲक्युपंक्चर में मान्यताप्राप्त नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, प्रवेश क्षमता में ऐसी अप्राधिकृत वृद्धी के आधार पर जिसे ॲक्युपंक्चर अर्हता अनुदत्त की गई है, उस छात्र की पहचान की कसौटी जैसा कि विहित किया जाए ऐसी होगी।

कतिपय विद्यमान ॲक्यूपंक्चर संस्थाओं के लिए अनुज्ञा लेने के लिए समय।

१८. (१) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व, यदि किसी व्यक्ति ने कोई ॲक्यूपंक्चर संस्था स्थापित की है तो वह जैसा राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ऐसी अवधि के भीतर, परिषद से विहित रित्या में अनुज्ञा लेगा।

(२) यदि ऐसी व्यक्ति, उप-धारा (१) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो धारा १७ के उपबंध जहाँ तक हो सके उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि धारा १६ के अधीन परिषद ने अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिया है।

अध्याय-चार

रजिस्टर तैयार करना और बनाये रखना ।

रजिस्टर तैयार करना।

१९. (१) परिषद, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररूप में ॲक्युपंक्चर व्यवसायी और ॲक्यूपंक्चर कर्मिकों का रजिस्टर बनाये रखेगी।

(२) रजिस्ट्रार, समय-समय से, उन व्यक्तियों के बारे में रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगी, जिनके नाम रजिस्टर किए जानेवाले है उनकी अर्हताएँ और पूरा नाम पत्ता और समय समय से परिषद द्वारा पारित किन्ही आदेशों के परिणाम में आवश्यक किया जाए उसमें ऐसा परिवर्तन या उपांतरण करेगा।

रजिस्टर किए जानेवाले हकदार व्यक्ति।

२०. (१) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, रजिस्ट्रार, ॲक्यूपंक्चर व्यवसायियों और ॲक्यूपंक्चर कर्मिकों का रजिस्टर तैयार करेगा और उसके पश्चात्, रजिस्टर बनाए रखेगा।

(२) रजिस्टर, तीन भागों में विभाजित होगा अर्थात्, भाग 'क' भाग 'ख', और भाग 'ग'। भाग 'क' और भाग 'ख' ॲक्युपंक्चर व्यवसायियों के नाम और उनके बारे में अन्य जानकारी से मिलकर बनेगा और भाग 'ग' ॲक्युपंक्चर कर्मिकों के नाम और उनकी अन्य जानकारी से मिलकर बनेगा।

(३) प्रत्येक व्यक्ति जो,–

(क) भारत में सांविधि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी ॲक्युपंक्चर में उपाधि या डिप्लोमा धारण करनेवाला और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से जिसका नाम ॲक्युपंक्चर व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया हो ; या

(ख) महाराष्ट्र स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा ॲक्युपंक्चर में प्रदान की गई ॲक्युपंक्चर उपाधि धारण करनेवाला ; या

(ग) चिकित्सा व्यवसायी और परिषद द्वारा प्रदान किया गया डिप्लोमा धारण करनेवाला कोई रजिस्टर है ;

(घ) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी और किसी मान्यता प्राप्त ॲक्युपंक्चर अर्हत धारक है ;

वह व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन बनाए रखे गए रजिस्टर के भाग 'क' में उसका नाम रजिस्ट्रिकृत करने के लिए हकदार होंगे।

(४) प्रत्येक व्यक्ति जो,–

(क) भारत में किसी सांविधिक राज्य परिषद या विश्वविद्यालय द्वारा ॲक्युपंक्चर में प्रदान किये गये ॲक्युपंक्चर में डिप्लोमा धारक है और जिसका नाम इस अधिनियम के प्रवर्तमान होने के जिस दिन पर उस संबंधित परिषद द्वारा बनाए रखे गये ॲक्युपंक्चर व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है ; या

(ख) परिषद द्वारा प्रदान किये गये डिप्लोमा धारक है ; या

(ग) परिषद द्वारा कोई सम्माननीय डिप्लोमा प्रदत्त किया गया है ; या

(घ) जो व्यक्ति भारत के भीतर या के किसी संस्था द्वारा प्रदान की गई कोई अर्हता धारण करता है और जिसकी मान्यताप्राप्त ॲक्युपंक्चर अर्हता है, परंतु जिसका नाम ॲक्युपंक्चर व्यवसायियों के किसी राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं किया गया है ; या

(ङ) ॲक्युपंक्चर व्यवसायियों के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए परिषद द्वारा ली जानेवाली या लिये जाने के कारण पात्रता परीक्षा अर्हता प्राप्त है तो, इस अधिनियम के अधीन बनाए रखे गये रजिस्टर के भाग में उसका नाम रजिस्ट्रीकृत करने के लिए हकदार होंगे।

(५) प्रत्येक व्यक्ति जो,–

(क) ॲक्युपंक्चर कर्मिकों के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए परिषद द्वारा ली जानेवाली या लिए जाने कारण पात्रता परीक्षा अर्हता प्राप्त है ;

(ख) परिषद द्वारा प्रदान किया गया ॲक्युपंक्चर में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र धारणकरता है ;

तो, उसका नाम इस अधिनियम के अधीन बनाए रखे गये रजिस्टर के भाग ' ग ' में रजिस्ट्रिकृत करने के लिए हकदार होंगे ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

२१. (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो अपना नाम रजिस्टर में प्रविष्ट करना चाहता है वह विहित रित्या, विहित प्ररूप में अपना आवेदन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा।

(२) परिषद का, यह समाधान होने पर कि व्यक्ति धारा २० के अधीन रजिस्ट्रिकरण करने के लिए अर्हता धारक है तो वह यह निदेश देगी की उसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा और तत्पश्चात्, राजिस्ट्रार, रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगा और उसे रजिस्ट्रिकरण का प्रमाण पत्र अनुदत्त करेगा।

कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण को नामंजूर करने या रजिस्टर से नाम हटाने की परिषद की शक्ति।

२२. (१) परिषद किसी व्यक्ति के नाम के रजिस्ट्रीकरण की अनुमति नामंजूर करेगी या रजिस्टर से नाम हटाने का निदेश दे सकेगी,—

(क) जो नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है ; या

(ख) उसके आचरण में की गई सम्यक जाँच के पश्चात्, परिषद के कम से कम एक तिहाई सदस्यों की बहुमत द्वारा उसकी व्यवसायी क्षमता में किसी अवचार का दोषी पाया गया है ;

परन्तु, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, ऐसी इन्कार या हटाया नहीं जायेगा :

परंतु आगे यह कि, परिषद द्वारा इस उप-धारा के अधीन कोई इन्कार या नाम हटाने से विखंडित कर दिया जायेगा, यदि उसका आचरण जिसके आधार पर अस्वीकृत या हटाना निदेशित था तो, उचित और पर्याप्त कारणों के लिए उसके द्वारा माफ करने योग्य है :

परंतु, यह भी कि, यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर से हटाया जा रहा है तो, ऐस व्यक्ति परिषद को अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तत्काल समर्पित करेगी।

(२) परिषद, जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। उस व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित विश्वसनीय जानकारी की प्राप्ति पर और जैसा वह उचित समझे ऐसी जाँच करने पर, उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटाने के निदेश देगी और तत्पश्चात्, रजिस्ट्रार, ऐसी व्यक्ति को संबंधित प्रविष्टियाँ रद्द करेगा।

(३) उप-धारा (१) के खंड (ख) के अधीन कोई जाँच करते समय परिषद, जब निम्न मामलों के संबंध में वाद चलाते समय, सिविल प्रकिया संहिता, १९०८ के अधीन, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :– सन् १९०८ का ५।

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और उसकी शपथ पर जाँच करना ;

(ख) दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना ; और

(ग) साक्षियों के जाँच के लिए कमीशन जारी करना।

(४) इस धारा के अधीन सभी जाँच, भारतीय दंड संहिता, की धारा १९३, २१९ और २२८ के अर्थान्तर्गत विधिक कार्यवाहियाँ समझी जायेंगी। सन् १८६० का ४५।

(५) इस धारा के अधीन किसी जाँच में उद्भूत विधि के किसी प्रश्न पर, परिषद को सलाह देने के प्रयोजनार्थ ऐसी समस्त जाँचों में निर्धारक होगा, जो दस वर्षों से अनून अवधि के लिए अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन नामांकित किया गया अधिवक्ता हो। सन् १९६१ का २५।

(६) उप-धारा के (५) अधीन कोई, निर्धारक या तो सामान्य जाँचों या किसी विशिष्ट जाँच या जाँचों के वर्ग लिए नियुक्त किया जायेगा, और उसे विहित परिश्रमिक अदा किया जायेगा।

वंचक तथा गलत प्रविष्टियों का रद्दकरण।

२३. रजिस्टर में की गई कोई प्रविष्टियाँ, वंचक या गलत बनाई है ऐसा साबित करके परिषद का समाधान करती है, तो परिषद के आदेश द्वारा वह रद्द कर दी जायेगी।

अध्याय पाँच

अपराध और शास्तियाँ

रजिस्ट्रीकृत किये जाने कादावा करनेवाले अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर शास्ति।

२४. यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं किया गया है, झूठ मूठ के अभ्यावेदन यह कि वह इस प्रकार उसके नाम या शीर्षक का कोई शब्द या अक्षर युक्तियुक्त परिगणित के संबंध में प्रविष्ट या इस्तेमाल किया गया है, तो सुझाव यह कि, उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट किया गया है, तो वह जहाँ कोई व्यक्ति ऐसे अभ्यावेदन द्वारा वास्तविक प्रवंचक है या नहीं वह महानगर मॅजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग अधिकारितावाले मॅजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से जो छह महीने तक बढाया जा सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपयों तक बढाया जा सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करने में असफल होने के लिए शास्ति।

२५. (१) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम यथोचित कारण के बिना धारा २२ के अधीन रजिस्टर से हटाया गया है, तो अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तत्काल अभ्यर्पित करने में असफल रहता है तो, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक बढाया जा सके दंडित किया जायेगा ।

(२) परिषद के किसी आदेश द्वारा की गई शिकायत को छोडकर इस धारा के अधीन कोई दण्डनीय अपराध का संज्ञेय नहीं होगा।

उपाधि, डिप्लोमा आदि के अप्राधिकृत प्रदान का प्रतिवेध तथा ऐसे प्रदान के लिए शास्ति।

२६. (१) महाराष्ट्र स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालय के अलावा किसी व्यक्ति, संघ या संस्था, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, ॲक्यूपंक्चर सिस्टम ऑफ थेरपि की कोई उपाधि, डिप्लोमा, उसका धारणकर्ता, प्राप्तिकर्ता या उसे पानेवाला इस अर्हता का प्रदान, अनुदत्त या जारी नहीं करेगा या प्रदान, अनुदत्त या जारी करने के लिए हकदार होने के बारे में अपने आप को प्रकट नहीं करेगा।

(२) परिषद के अलावा, ॲक्यूपंक्चर सिस्टम ऑफ थेरपि से अन्य कोई व्यक्ति, संघ या संस्था ॲक्यूपंक्चर की कोई उपाधि, डिप्लोमा लायसेन्स, प्रमाणपत्र या इसमें अंतर्विष्ट कोई दस्तावेज जो उसका धारणकर्ता, प्राप्तिकर्ता या उसे पानेवाला यह व्यवसाय चला नहीं सकता हैं।

(३) उप-धारा (१) या (२) के उपबंधों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक बढायी जा सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपयों तक बढाया जा सकेगा, से दण्डित किया जायेगा ; और यदि ऐसे उल्लंघन के लिए संघ या संस्था दोषी हो तो, उसके प्रत्येक सदस्य, जो जानते हुए या जानबूझकर उल्लंघन को प्राधिकृत या अनुमत करता है तो, दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक बढायी जा सकेगी या ऐसे जुर्माने जो दस हजार रुपयों तक बढाया जा सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

ॲक्यूपंक्चर अर्हताओं के असंगत मान्यताओं के लिये शास्ति।

२७. (१) कोई व्यक्ति, उसने ॲक्युपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपि में कोई उपाधि धारण करता है, तो महाराष्ट्र स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी उपाधि प्रदत्त नहीं की जागी है तब तक, उसके नाम के बताये जाने या अंन्तर्निहित किये जाने के बाद किन्ही अक्षरों या अंकों का प्रयोग नहीं करेगा।

(२) कोई व्यक्ति, वह ॲक्यूपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपि में डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र धारण करता है, ऐसा डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र परिषद द्वारा प्रदत्त या मान्यताप्राप्त है के बिना, उसके नाम के बताये जाने या अंतर्निहित किये जाने के बाद किन्हीं अक्षरों या अंकों का प्रयोग नहीं करेगा।

(३) जो कोई भी उप-धारा (१) या (२) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दोषसिद्धि पर, प्रथम उल्लंघन पर, ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपयों तक बढाया जा सकेगा और जहाँ ऐसा उल्लंघन प्रथम उल्लंघन के पश्चात्, निरंतर हो तो प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिये ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपयों तक बढाया जा सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

रजिस्ट्रीकरण सूची का प्रकाशन और प्रयोग।

२८. (१) रजिस्ट्रार, जैसा कि अवसर आवश्यक हो, समय-समय से, परिषद द्वारा इस निमित्त में नियत किये गये दिनांक पर या के पूर्व, रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट नामों की सही सूची, उसमें उपवर्णित करने के लिये, मुद्रित और प्रकाशित करने (परंतु अंतिम प्रकाशन के दिनांक से कम-से-कम बारह माह बीते हो) ।

(क) सभी रजिस्ट्रीकृत ॲक्यूपंक्चर व्यवसायियों और ॲक्यूपंक्चर कार्मिकों की उनके उपनामों के अनुसार वर्णानुक्रमिक क्रम में क्रमबद्ध नाम ;

(ख) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकृत पता ; और

(ग) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की रजिस्ट्रीकृत अर्हता और दिनांक जिस पर अर्हता प्राप्त की है।

(२) रजिस्ट्रार, समय-समय से, जैसा कि अवसर उदभूत हो, उप-धारा (१) के अधीन सूची के प्रकाशन से लेकर रजिस्टर में संकलन या परिवर्तन से अंतर्विष्ट, उससे अनुपूरक सूची के मुद्रित और प्रकाशित करने के कारण देगा।

(३) प्रत्येक न्यायालय, कोई व्यक्ति, जिसका नाम उप-धारा (१) के अधीन मुद्रित और प्रकाशित अद्यावत सूची में प्रविष्ट है, यदि कोई, उप-धारा (२) के अधीन मुद्रित और प्रकाशित उससे अनुपूरक अद्यावत सूची के साथ पढ़ा जाता है, तो इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है, और कोई व्यक्ति जिसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट नहीं है, तो वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है :

परंतु, कोई व्यक्ति जिसका नाम उप-धारा (१) के अधीन मुद्रित और प्रकाशित अद्यावत सूची में, उससे अनुपूरक यदि कोई, उप-धारा (२) के अधीन मुद्रित और प्रकाशित अद्यावत सूची के साथ नहीं पढ़ा जाता तो, रजिस्टर में ऐसे व्यक्ति के नाम की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित, साक्ष्य होगी कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

अपराध का संज्ञान।

२९. (१) धाराएँ २४, २५, २६ और २७ के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतिय होंगे।

(२) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कोई न्यायालय, परिषद द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में की गई शिकायत को छोडकर, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। सन् १९७४ का २।

अध्याय छह

विविध

रजिस्टर के भाग क और ख में नामावलीत किये गये व्यक्तियों के कतिपय विशेषाधिकार।

३०. (१) ॲक्यूपंक्चर व्यवसायी जिसका नाम रजिस्टर के भाग 'क' और 'ख' में प्रविष्ट किया गया है, रजिस्ट्रीकृत ॲक्यूपंक्चर व्यवसायी, से अन्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या किन्हीं सहबद्ध ॲक्यूपंक्चर संस्था में किसी ॲक्यूपंक्चर अस्पताल, आश्रम रुग्णालय, औषधालय, या स्थित अस्पताल में ॲक्यूपंक्चर में चिकित्सा अधिकारी या अध्यापक के रूप में किसी नियुक्ति को धारण करने के लिये सक्षम नहीं होगा।

(२) रजिस्टर के भाग क में रजिस्ट्रीकृत ॲक्यूपंक्चर व्यवसायी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ के अधीन तज्ज्ञ के रूप में किसी जाँच-पडताल या विधि न्यायालय में ॲक्यूपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपि से संबंधित किसी मामले में राय देने का हकदार होगा।

ॲक्यूपंक्चर उपकरणों के विनिर्माण, संग्रहण और विक्रय का नियंत्रण।

३१. उपकरणों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, राज्य सरकार को जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शर्तों पर निर्माताओं, व्यापारी और विक्रेताओं के लाईसेंस की मंजूरी द्वारा ॲक्यूपंक्चर उपकरणों के निर्माण, संग्रहण या विक्रय का विनियमन और नियंत्रण करने की शक्ति होगी।

वाद या अन्य विधिक कार्यवाहीयों का वर्जन।

३२. राज्य सरकार या परिषद् या कार्यकारी समिति पर या परिषद् द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति या रजिस्ट्रार पर इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में कृत या किए जाने से छोड़े गए किसी कार्य या बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं होंगी।

अपील।

३३. (१) इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन परिषद् के किसी निर्णय या किसी आदेश द्वारा कोई व्यक्ति या संस्था व्यथित है तो, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्रारूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर, ऐसे शर्तों पर और एसी फीस की अदायगी पर, राज्य सरकार के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगी।

(२) ऐसे अपील की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और परिषद् से परामर्श लेने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो अंतिम और बाध्यकारी होगा।

वित्त तथा लेखापरीक्षा।

३४. (१) इस अधिनियम के अधीन देय सभी फिस परिषद को अदा की जायेगी।

(२) परिषद की सभी परिसंपत्ति और दायित्व, उसके द्वारा प्राप्त सभी फीस, रकम, दान, उपहार, वृत्तिदान, तथा उसके द्वारा उपगत तथा किया गया सभी खर्च और परिव्यय का लेखा विनिर्दिष्ट रित्या में रखा जायेगा।

(३) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया जा सके ऐसे राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा लेखा संपरीक्षित किया जायेगा और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट, ऐसे अधिकारी द्वारा राज्य सरकार और परिषद को भेजी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

३५. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा और पूर्ववर्ती प्रकाशन के शर्त के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) परिषद और कार्यकारी समिति के सदस्यों का निर्वाचन और उपाध्यक्ष का निर्वाचन ;

(ख) परिषद के बैठकों के आयोजन की रीति ;

(ग) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा पालन किए जाने वाले कृत्य ;

(घ) कार्यकारी समिति की शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) रजिस्ट्रार की अर्हताएँ, वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें, रजिस्ट्रार द्वारा परिषद् के लेखों को सुरक्षित रखने का ढंग, रजिस्ट्रार की पर्यवेक्षण शक्तियाँ तथा कृत्य और कर्तव्य तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें ;

(च) ॲक्यूपंक्चर व्यवसायियों और ॲक्यूपंक्चर कर्मिकों के रजिस्टर का प्ररूप, रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप और रीति।

(छ) परिषद् द्वारा अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया, —

(एक) धारा २२ की उप- धारा (३) के अधीन जाँच-पड़ताल का आयोजन करना ;

(दो) रजिस्ट्रार के निर्णय से अपीलों का निपटान करना ;

(ज) धारा ३१ के अधीन लाइसेंस की अनुमति के लिए शर्तें ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन जो विहित किया जाए या आवश्यक हो ऐसा कोई अन्य मामला।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया था या उसके ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये और उस प्रभाव का अपना विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं तो ऐसे विनिश्चय की **राजपत्र** में अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियम ऐसे परवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोडी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

विनियम बनाने की शक्ति।

३६. (१) परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के कृत्यों का पालन करने के लिए और सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और तद्धीन निर्मित नियमों से अनअसंगत विनियम बना सकेगी।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित समस्त या किन्ही मामलों के लिए, उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) कार्यकारिणी समिति तथा परिषद् द्वारा नियुक्त की गई समिति के कारोबार का संचालन करना;

(ख) समय और स्थान, जिसमें ऐसी प्रत्येक बैठक में ली जायेगी ।

(ग) ऐसे बेठक बुलाने की सूचनाओं को जारी करना;

(घ) उसके कारोबार का संचालन करना;

(ङ) परिषद् की अनुमति, सम्बद्धता और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया; या

(च) इस अधिनियम द्वारा परिषद को स्पष्टतया या विवक्षा से जिन विनियमनों को बनाने की शक्ति प्रदान की गई है उनके लिए कोई अन्य मामला।

विनियमनों का प्रकाशन।

३७. इस अधिनियम के अधीन विरचित सभी विनियमन, **राजपत्र** में प्रकाशित किए जाएँगे ।

सरकार को रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करना।

३८. परिषद, अपने कार्यवृत्त् की प्रतियाँ, रिपोर्ट, उसके लेखों के उद्धरण और अन्य जानकारी राज्य सरकार जिस-जिस समय मंगाएगी तब वह प्रस्तुत करेगी ।

सरकार द्वारा निदेश।

३९. (१) परिषद, ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी जो इस अधिनियम के कारगर प्रशासन के लिए, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किए जाएँगे ।

(२) यदि इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग करने, उसके कृत्यों के अनुपालन करने और उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने के संबंध में परिषद और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उद्‌भूत होता है तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा और परिषद पर बाध्यकारी होगा ।

परिषद को अतिष्ठित करने की शक्ति।

४०. (१) यदि, किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि परिषद या उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का अनुपालन करने में विफल हुआ है या लगातार चूक करता है या इस अधिनियम द्वारा, या के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण करता है या दुरूपयोग करता है या धारा ३८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किसी निदेशों का जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना अनुपालन करने में विफल होता है तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा परिषद को ऐसी अवधि के लिए अतिष्ठित कर सकेगी जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व, सरकार, परिषद की यह कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगी कि क्यों न उसे अतिष्ठित किया जाए और परिषद के स्पष्टीकरण और आक्षेपों, यदि कोई हो, पर विचार करेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन, अधिसूचना के प्रकाशन पर परिषद अतिष्ठित किये जाने पर,–

(क) परिषद के सभी सदस्य, अधिक्रमण के दिनांक को उनकी पदावधि समाप्त न होने पर भी, अपने पद रिक्त करेंगे ;

(ख) सभी शक्तियाँ और कर्तव्य जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आदेश द्वारा परिषद द्वारा या के निमित्त प्रयोक्तव्य या अनुपालन किये जाने वाले अधिक्रमण की अवधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, प्रयोक्तव्य या पालन किये जायेगे जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे ;

(ग) परिषद में निहित सभी संपत्ति, अधिक्रमण के दौरान, राज्य सरकार में निहित होंगी।

(३) उप-धारा (१) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर, राज्य सरकार,–

(क) जैसा आवश्यक समझे ऐसी अधिकतर अवधि के लिए अधिक्रमण की अवधि बढ़ा सकेगी, लकिन यह अवधि कुल मिलाकर दो वर्षों से अधिक नहीं होगी ; या

(ख) उपबंधित रीत्या नवीन परिषद के गठन के लिए कदम उठायेंगी ।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

४१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि, कोई कठिनाई प्रोद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनार्थ जो उसे आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो ऐसी कोई बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नही है :

परंतु, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, बनाया नहीं जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद)

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.